HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2505/2026

Devilal S/o Shri Sarwan Lal, Aged About 58 Years, R/o Pachipalya, Police Station Mantown, District Sawai Madhopur (Raj.) (Presently Accused Is Confined In Central Jail, Sawaimadhopur) The Petitioner Being Entitled To Legal Aid Under Section 12 Of The Legal Services Authorities Act, 1987.

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jahangir Alal Salawat
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–मानटाउन, सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 309/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 329(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी आई.टी.एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उस पर आक्षेप है कि उसने अपना खाता सहअभियुक्त को दिया/विक्रय किया तथा इसके बदले में उसने पैसे प्राप्त किए। उनका तर्क है कि प्रकरण के मुख्य अभियुक्त इकबाल को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का एकमात्र आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जो मारपीट के अपराध से सम्बन्धित है।

प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 30.12.2025 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण और अनुसंधान में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सोचे–समझे ढंग से एवं सुनियोजित तरीके से उक्त साईबर ठगी का अपराध कारित किया है। प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर अभियोग है कि उसने इकबाल नामक व्यक्ति को साईबर फ्रॉड करने के लिए अपना बैंक खाता दिया अथवा विक्रय किया तथा इसके बदले में उसने रूपये प्राप्त किए। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार इस मामले में पुलिस थाना–मानटाउन के सहायक उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु संदिग्ध खातों *(Mule Accounts)* की जांच की गई तो प्रकट हुआ है कि साईबर पोर्टल 1930 में शिकायत संख्या 31101250024692 दर्ज है, जिसमें पीडित पटेल रश्मित निवासी दांतीवाडा गुजराज (मोबाईल नम्बर 8347173903) है, जिससे निवेश के नाम पर किए गये साईबर फ्राड की राशि प्रार्थी–अभियुक्त के खाते में प्राप्त हुई है। प्रार्थी–अभियुक्त के खाते के सम्बन्ध में अन्य ऑनलाईन शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं तथा इन शिकायतों के अनुरूप उसके खाते में 7,02,05/–रूपये की राशि प्राप्त होना सामने आया है। इस प्रकार अब तक किए गये अनुसंधान से यह पाया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करते हुए लोगों को डिजिटल अरेस्ट, डमी मैसेज, लोन कवर, मनी हेल्प जैसे मैसेज कर सर्विस चार्ज, जीएसटी चार्ज विड्राल आदि के नाम पर धोखाधडी कर इलेक्ट्रोनिक साधनों का उपयोग करते हुए साईबर ठगी की गई तथा यह साईबर ठगी की यह राशि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा उपलब्ध करवाये गये खाते में आई। वर्तमान में साईबर अपराध के मामलों में दिनोंदिन वृद्धि हो

रही है तथा यदि साईबर–फ्रॉड करने वालों को इस प्रकार के खाते नहीं दिए जाये या विक्रय नहीं किए जाये तो ऐसे अपराधों को घटित होने से रोका जा सकता है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /65